



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-10072026-274335  
CG-TL-E-10072026-274335

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3570]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2026/आषाढ 18, 1948

No. 3570]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 8 जुलाई, 2026

का.आ. 3732(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सारणी स्तम्भ (6) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र.सं.	विशेष रेल परियोजना	राज्य	जिला	मंडल	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	यदाद्री – काज़ीपेट स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन (77.96 किमी) जिसमें घटकेसर – यदाद्री स्टेशनों के	तेलंगाना	जनगांव	जनगांव	राजस्व मंडल अधिकारी, जनगांव

बीच चौथी लाइन का प्रावधान शामिल है (32.45 किमी).			घनपुर	राजस्व मंडल अधिकारी, घनपुर
--	--	--	-------	-------------------------------

[फा. सं. W.Con.182/SRP-26/SC-KZJ/25-26/294/7A]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 8th July, 2026

**S.O. 3732(E).**—In exercise of the powers conferred by Clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in the column(6) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Special Railway Project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**TABLE**

Sl. No.	Special Railway Project	State	District	Division	Competent authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3rd and 4th lines between Yadadri –Kazipet stations (77.96 Km) including provision for 4th line between Ghatkesar - Yadadri Stations (32.45 Km)	Telangana	Jangaon	Jangaon	Revenue Divisional Officer, Jangaon
				Ghanpur	Revenue Divisional Officer, Ghanpur

[F. No. W.Con.182/SRP-26/SC-KZJ/25-26/294/7A]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II